प्रारंभिक परीक्षा

प्रकल्पित कराधान योजना

संदर्भ

नीति आयोग (भारत सरकार का थिंक टैंक) ने भारत में कार्यरत विदेशी कंपनियों के लिए एक वैकल्पिक प्रकल्पित कराधान योजना(presumptive taxation scheme) शुरू करने का प्रस्ताव दिया है।

प्रकल्पित कराधान(Presumptive Taxation) क्या है?

- **प्रकल्पित कराधान का अर्थ है, लेखा-जोखा की विस्तृत पुस्तकों में दर्शाए गए वास्तविक लाभ के बजाय, प्रकल्पित या अनुमानित लाभ दर के आधार पर आय पर कर लगाना।**
- **सरल शब्दों में:**
    - विस्तृत लेखा पुस्तकों को बनाए रखने और ऑडिट कराने के बजाय,
    - करदाता अपने टर्नओवर या राजस्व का एक निश्चित प्रतिशत (निर्धारित दर) आय के रूप में घोषित करता है,
    - और उसी अनुमानित आय पर कर चुकाता है।

नीति आयोग द्वारा प्रस्तावित प्रकल्पित कर योजना क्या है?

- **प्रमुख विशेषताएँ**:
    - **विदेशी कम्पनियों के लिए वैकल्पिक योजना:** विदेशी कम्पनियां निर्धारित लाभ दर पर आय घोषित करने का विकल्प चुन सकती हैं।
        - बदले में, उन्हें विस्तृत बहीखाते रखने या ऑडिट का सामना करने की आवश्यकता नहीं होगी।
    - **स्थायी प्रतिष्ठान (PE) नियमों को सरल बनाया गया:** यह योजना इस विवाद को सुलझाने में मदद करेगी कि क्या किसी विदेशी कंपनी का भारत में "स्थायी प्रतिष्ठान" (कर योग्य उपस्थिति) है।
        - यह वैश्विक मानदंडों के अनुरूप, कानून में **PE** और आरोपण सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से संहिताबद्ध करेगा।
    - **क्षेत्रों के लिए अलग-अलग लाभ दरें:** विभिन्न उद्योगों (जैसे डिजिटल, विनिर्माण, आदि) की योजना के तहत अलग-अलग मानी गई लाभ दरें हो सकती हैं।
    - **निश्चितता और सेफ हार्बर:** कर प्राधिकारी **PE** अस्तित्व पर अलग से मुकदमा नहीं करेंगे, जिससे विदेशी फर्मों को "**सेफ हार्बर(safe harbour)**" मिलेगा।
    - **स्वैच्छिक भागीदारी:** कंपनियां सरलता के लिए इसमें शामिल हो सकती हैं, या इससे बाहर निकलकर वास्तविक खातों के आधार पर नियमित रिटर्न दाखिल कर सकती हैं।
    - **नीतिगत प्रभाव:** इसका उद्देश्य भारत की कर व्यवस्था को एक **"माइनफील्ड"** (विवाद-प्रधान प्रणाली) से एक **"वेल-लिट पाथ"** (पूर्वानुमेय और स्थिर प्रणाली) में बदलना है।
        - इससे भारत की वैश्विक व्यापार रैंकिंग और विदेशी निवेश आकर्षण में सुधार की उम्मीद है।

स्रोत: द हिंदू

RBI द्वारा बैंकिंग प्रणाली को बढ़ावा देने के उपाय प्रस्तावित

संदर्भ

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने भारत की बैंकिंग प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए चार बड़े उपायों का प्रस्ताव रखा है।

उपाय क्या हैं?

प्रमुख सुधार	सुधार के बारे में
जमा बीमा के लिए जोखिम-आधारित प्रीमियम ढांचे की शुरूआत	• वर्तमान फ्लैट-रेट जमा बीमा प्रीमियम से जोखिम-आधारित प्रणाली की ओर बढ़ना। • इसके अंतर्गत, बेहतर रेटिंग वाले बैंक कम प्रीमियम का भुगतान करेंगे, जबकि जोखिम वाले बैंक अधिक प्रीमियम का भुगतान करेंगे। • जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (DICGC) के माध्यम से कार्यान्वित।
अपेक्षित ऋण हानि (ECL) प्रावधान ढांचा	• 1 अप्रैल, 2027 से सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एसएफबी, भुगतान बैंकों और आरआरबी को छोड़कर) और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (एआईएफआई) पर अपेक्षित ऋण हानि (ECL) मॉडल लागू होगा। • बैंकों को वास्तविक चूक(Defaults) के बजाय अपेक्षित हानि के आधार पर प्रावधान करने की आवश्यकता होगी।
संशोधित बेसल III पूंजी पर्याप्तता मानदंड	• अप्रैल 2027 से ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए संशोधित बेसल III मानदंडों का कार्यान्वयन • एमएसएमई और गृह ऋण जैसे कुछ क्षेत्रों के लिए कम जोखिम भार शामिल है।
बैंकों द्वारा पूंजी बाजार ऋण के दायरे का विस्तार	• बैंकों को भारतीय कंपनियों द्वारा अधिग्रहण के लिए वित्तपोषण की अनुमति दी गई। • शेयरों, **REITs** और **InvITs** के बदले ऋण देने की सीमा बढ़ा दी गई। • सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों के बदले ऋण देने पर नियामकीय सीमा हटा दी गई।

स्रोत: इकोनॉमिक टाइम्स

शहरी बाढ़ जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम

संदर्भ

केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने **11** शहरों के लिए शहरी बाढ़ जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम (**UFRMP**) चरण-**II** को मंजूरी दी है।

इसके बारे में -

- **शहरी बाढ़ जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम (UFRMP) एक राष्ट्रीय पहल है जिसका उद्देश्य संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक उपायों के संयोजन के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में बाढ़ की संवेदनशीलता को कम करना है।**
- इसका लक्ष्य शहरी जल निकासी प्रणाली में सुधार, बाढ़ सुरक्षा अवसंरचना को मजबूत करने, और प्रारंभिक चेतावनी एवं प्रतिक्रिया तंत्र को सुदृढ़ करके बाढ़-प्रतिरोधी शहरों का निर्माण करना है।
- **वित्तपोषण पैटर्न:** इसे केंद्र और राज्यों के बीच **लागत-साझेदारी के आधार पर लागू** किया जाएगा।
    - **केंद्र:** परियोजना लागत का 90%
    - **राज्य:** परियोजना लागत का 10%
    - **राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (NDMF) के दिशा-निर्देशों के अनुसार।**
- **कवर किए गए शहर:** भोपाल, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, जयपुर, कानपुर, पटना, रायपुर, तिरुवनंतपुरम, विशाखापत्तनम, इंदौर और लखनऊ।
- **संरचनात्मक उपाय:** बेहतर तूफानी जल प्रबंधन के लिए जल निकायों को आपस में जोड़ना।
    - बाढ़ सुरक्षा दीवारों का निर्माण।
    - प्रकृति-आधारित समाधान (NBS) के माध्यम से कटाव नियंत्रण और मृदा स्थिरीकरण।
- **गैर-संरचनात्मक उपाय:** बाढ़ पूर्व चेतावनी प्रणाली की स्थापना।
    - वास्तविक समय निगरानी के लिए डेटा अधिग्रहण प्रणालियों का विकास।
    - प्रभावी बाढ़ प्रबंधन के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण।

स्रोत: इकोनॉमिक टाइम्स

ऑनलाइन गेमिंग के संवर्धन और विनियमन हेतु मसौदा नियम, 2025

संदर्भ

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा तैयार मसौदा नियमों का उद्देश्य **ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन अधिनियम, 2025 (Promotion and Regulation of Online Gaming Act, 2025)** को क्रियान्वित करना है।

प्रमुख प्रावधान -

- **ऑनलाइन मनी गेम्स पर प्रतिबंध: सभी प्रकार के ऑनलाइन मनी-आधारित गेम (जैसे, पोकर, फैंटेसी स्पोर्ट्स) निषिद्ध हैं**। केवल **ई-स्पोर्ट्स** और **सोशल गेम्स की अनुमति** है।
- **भारतीय ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण (OGAI):** इस क्षेत्र को विनियमित करने के लिए एक वैधानिक प्राधिकरण।
    - **कार्य**: गेम्स का पंजीकरण, वैधता तय करना, रजिस्ट्री बनाए रखना, दंड लगाना।
    - **संरचना**: अध्यक्ष + विभिन्न मंत्रालयों से 5 सदस्य।
- **गेम्स का पंजीकरण:** सभी ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को **OGAI** के साथ पंजीकृत होना चाहिए।
    - कानूनी संचालन के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र अनिवार्य है।
- **शिकायत निवारण तंत्र (3-स्तरीय):** प्रत्येक पंजीकृत प्रदाता को एक आंतरिक शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित करना होगा।
    - अपील शिकायत अपीलीय समिति और अंततः **OGAI** के पास जा सकती है।
- **उल्लंघन और दंड:** नियमों का उल्लंघन गैर-जमानती अपराध माना जाएगा।
    - उल्लंघन को बढ़ावा देने के लिए सम्पूर्ण कंपनी स्टाफ को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।

अन्य संबंधित उपाय -

- **आईटी अधिनियम, 2000 (धारा-69A):** अवैध ऑनलाइन गेमिंग साइटों/ऐप्स को ब्लॉक करने के लिए उपयोग किया जाता है (2022-25 के बीच 1,524 ब्लॉक किए गए)।
- **भारतीय न्याय संहिता, 2023:** गैरकानूनी गेमिंग और साइबर अपराधों के खिलाफ दंडात्मक प्रावधान प्रदान करती है (धारा 111, 112)।
- **आईजीएसटी अधिनियम, 2017:** अपतटीय और अवैध गेमिंग प्लेटफार्मों को विनियमित करता है।
- **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019:** गेमिंग कंपनियों द्वारा भ्रामक या छद्म विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाता है।

स्रोत: हिंदुस्तान टाइम्स

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA)

संदर्भ

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए दृष्टि आईएएस (वीडीके एडुवेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड) पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) के बारे में -

- **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा-10 के तहत स्थापित।**
- **नोडल मंत्रालय**: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय।
- **कार्य एवं शक्तियां:**
    - एक वर्ग के रूप में उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा और प्रवर्तन करता है।
    - अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकता है और झूठे/भ्रामक विज्ञापनों की जाँच करता है।
    - यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित या प्रचारित न हो।
    - सामूहिक कार्रवाई के मुकदमे शुरू कर सकता है(जिसमें उत्पाद वापस लेना, धन वापसी या लाइसेंस रद्द करना शामिल है)।
    - अपने जाँच विंग (महानिदेशक की अध्यक्षता में) के माध्यम से पूछताछ और जाँच करता है।
- **धारा-21:** झूठे या भ्रामक विज्ञापनों के विरुद्ध निर्देश जारी करने और दंड लगाने की CCPA की शक्ति।

स्रोत: द हिंदू

मुख्य परीक्षा

एक लाल सूर्यास्त - भारत में माओवादी विद्रोह का पतन

संदर्भ

माओवादी आंदोलन, जो **1967** के **नक्सलबाड़ी विद्रोह के साथ शुरू** हुआ था और एक समय भारत के हृदयस्थल तक फैला हुआ था तथा "आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा" था, अब एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है, जहां निरंतर उग्रवाद-रोधी और विकास प्रयासों के कारण "लाल गलियारा(Red Corridor)" सिमट कर छोटे-छोटे क्षेत्रों में सिमट गया है।

माओवादी विद्रोह की वर्तमान स्थिति -

- **भौगोलिक संकुचन:**
  - **2000 के दशक के अंत में** वामपंथी उग्रवाद (LWE) ने **92,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले लगभग 180 जिलों को प्रभावित किया**।
  - **अप्रैल 2024** तक, यह घटकर **38 जिले रह गए हैं**, जिनमें से केवल **6 जिले चिंताजनक हैं** (जैसे, छत्तीसगढ़ में बस्तर के कुछ हिस्से, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़-तेलंगाना सीमा के कुछ क्षेत्र)।
- **परिचालन कमजोर होना:**
  - **अकेले 2025 में: 270 माओवादी मारे गए, 680 गिरफ्तार हुए, और 1,225 ने आत्मसमर्पण किया** (गृह मंत्रालय के आंकड़े)।
  - हथियारों का बड़ा जखीरा जब्त किया गया; गुरिल्ला कैडरों को हथियारों और रसद की कमी का सामना करना पड़ रहा है।
  - नेतृत्व समाप्त कर दिया गया: कई केंद्रीय समिति सदस्य और वरिष्ठ कमांडर मारे गए।
- **भर्ती में गिरावट:**
  - एक दशक से अधिक समय से गैर-आदिवासी क्षेत्रों से कोई भर्ती नहीं हुई।
  - यहां तक कि आदिवासी युवा, जो कभी रीढ़ थे, अब कठोर गुरिल्ला जीवन की अपेक्षा शिक्षा, नौकरी और मोबाइल कनेक्टिविटी को प्राथमिकता देते हैं।

लाल गलियारे से लाल इलाकों तक -

लाल गलियारा (2000 के दशक में चरम):

- **2000 के दशक के अंत में वामपंथी उग्रवाद (LWE)** नेपाल सीमा से लेकर बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों तक **10 राज्यों के लगभग 180 जिलों में फैला हुआ था।**
- **इस विशाल क्षेत्र को "लाल गलियारा(Red Corridor)" कहा जाता था**, जहां माओवादी समानांतर प्रशासन चलाते थे, कर वसूलते थे, कार्यकर्ताओं की भर्ती करते थे और बड़े पैमाने पर हमले करते थे।
- उनका गढ़ **दंडकारण्य वन** (छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र-तेलंगाना सीमा) था।

लाल इलाके (वर्तमान स्थिति)

- आज, वामपंथी उग्रवाद **लगभग 38 जिलों तक सीमित हो गया है (2024 एमएचए डेटा)**, जिसमें केवल **6 "चिंताजनक जिले" बचे हैं।**
- माओवादी अब छोटे, पृथक वन क्षेत्रों तक ही सीमित रह गये हैं:
  - बस्तर (छत्तीसगढ़),
  - दंडकारण्य क्षेत्र,
  - झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़-तेलंगाना सीमा के कुछ हिस्से।

- कभी एक दूसरे से जुड़ा हुआ यह गलियारा अब अलग-अलग लाल इलाकों(Red Pockets) में बंट गया है, जहां आपसी संपर्क या जनता का समर्थन बहुत कम है।

नक्सलवाद की वर्तमान गिरावट के कारण -

- **निरंतर सुरक्षा दबाव:**
  - **लक्षित उग्रवाद-रोधी अभियान**: केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीआरपीएफ, कोबरा इकाइयां) और राज्य स्तरीय विशिष्ट बलों (जैसे, आंध्र-तेलंगाना में ग्रेहाउंड, महाराष्ट्र में सी-60, छत्तीसगढ़ में डीआरजी) ने माओवादियों को भारी नुकसान पहुंचाया है।
  - **नेतृत्व की समाप्ति**: हाल के वर्षों में, पोलित ब्यूरो और केंद्रीय समिति के सदस्यों सहित कई शीर्ष भाकपा (माओवादी) नेता मारे गए हैं। नेताओं की उम्र बढ़ने और प्रभावी दूसरी पंक्ति के प्रतिस्थापन के अभाव में, संगठनात्मक ढाँचा कमज़ोर हो गया है।
  - **उन्नत प्रौद्योगिकी**: ड्रोन, उपग्रह इमेजरी, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और उन्नत खुफिया नेटवर्क के उपयोग ने माओवादियों की स्थानांतरित होने या फिर से संगठित होने की क्षमता को सीमित कर दिया है।
- **भर्ती एवं लोकप्रियता में गिरावट:**
  - **जनजातीय समर्थन का नुकसान:** कभी आंदोलन की रीढ़ रहे जनजातीय युवा अब जंगल जीवन की अपेक्षा शिक्षा, सरकारी नौकरी और आधुनिक जीवनशैली को प्राथमिकता देते हैं।
  - **राज्य के लाभों तक बेहतर पहुंच:** सड़कें, स्कूल, मोबाइल नेटवर्क, पीडीएस, छात्रवृत्ति और स्वास्थ्य सेवा ने माओवादियों की अपील को कम कर दिया है।
  - **सामाजिक आकांक्षा में बदलाव:** इंटरनेट और मोबाइल के प्रसार के साथ, युवा लोग कठोर गुरिल्ला जीवन के बजाय मुख्यधारा के अवसरों की आकांक्षा रखते हैं।
- **सरकार द्वारा विकासात्मक हस्तक्षेप:**
  - **विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए) योजना** वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में सड़कों, पुलों, दूरसंचार और कल्याणकारी परियोजनाओं के लिए धन मुहैया कराती है।
  - **आकांक्षी जिला कार्यक्रम ने** स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास में सेवा वितरण में सुधार किया।
  - **जनजातीय विकास पर ध्यान केन्द्रित करना:** एफआरए (वन अधिकार अधिनियम), पीईएसए, छात्रवृत्ति और माओवादी क्षेत्रों में स्वास्थ्य कार्यक्रमों से शिकायतें कम हुईं।
  - **राज्य की प्रत्यक्ष उपस्थिति:** पहले माओवादी सुदूर जंगलों में "समानांतर सरकारें" चलाते थे; अब शासन और कल्याणकारी योजनाओं ने उस वैधता को खत्म कर दिया है।
- **प्रभावी राज्य-स्तरीय रणनीतियाँ:**
  - **आंध्र प्रदेश और तेलंगाना:** ग्रेहाउंड्स के सर्जिकल स्ट्राइक और पुनर्वास कार्यक्रमों ने क्षेत्र में माओवादियों का लगभग सफाया कर दिया।
  - **महाराष्ट्र (गढ़चिरौली):** सी-60 कमांडो बल और नागरिक कार्रवाई परियोजनाओं ने माओवादी ठिकानों को कमजोर कर दिया है।
  - **छत्तीसगढ़:** आत्मसमर्पित माओवादियों और आदिवासी युवाओं से बनी जिला रिजर्व गार्ड (डीआरजी) बस्तर में प्रभावी रही है।
  - **झारखंड और ओडिशा:** विशेष आत्मसमर्पण नीतियां, दूरदराज के गांवों में स्कूलों और कल्याणकारी कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने तथा बेहतर खुफिया जानकारी के कारण माओवादी गतिविधियां कम हुई हैं।
- **आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीतियां:**
  - सरकारें आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को नकद प्रोत्साहन, आवास, नौकरी और शिक्षा प्रदान करती हैं।

- कई वरिष्ठ नेता और उनके परिवार कठोर जंगल जीवन और स्वास्थ्य समस्याओं से निराश होकर आत्मसमर्पण कर चुके हैं।
- मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा है: माओवादियों का पलायन और उनका मनोबल कमजोर हुआ है।

- **संगठनात्मक थकान और वैचारिक पतन:**
  - माओवादी नेतृत्व वृद्ध और अस्वस्थ है; नये सदस्य कम संख्या में हैं।
  - **गुटबाजी:** कुछ नेता (जैसे मल्लोजुला वेणुगोपाल राव) खुलेआम सशस्त्र संघर्ष को समाप्त करने का आह्वान करते हैं, जबकि कट्टरपंथी इसका विरोध करते हैं।
  - **वैचारिक अप्रासंगिकता:** वर्ग युद्ध की माओवादी बयानबाजी नई पीढ़ियों के साथ प्रतिध्वनित होने में विफल हो रही है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जो विकास से लाभान्वित हो रहे हैं।
- **सुरक्षित अभयारण्यों की हानि और अंतर-राज्यीय सहयोग:**
  - पहले माओवादी राज्य की खुली सीमाओं को पार करके फलते-फूलते थे। अब, बेहतर अंतर्राज्यीय समन्वय के कारण सुरक्षित क्षेत्र कम हो गए हैं।
  - सड़क और दूरसंचार संपर्क में वृद्धि के कारण उनके लिए गुप्त रूप से काम करना कठिन हो गया है।

सरकारी हस्तक्षेप -

केंद्र सरकार के उपाय

- **सुरक्षा संचालन:**
  - **केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF)** की विशिष्ट इकाइयों (कोबरा कमांडो, ग्रेहाउंड) के साथ तैनाती।
  - समन्वय के लिए प्रभावित राज्यों में **एकीकृत कमान का निर्माण।**
  - निगरानी के लिए यूएवी, ड्रोन और एआई का उपयोग।
- **विकासात्मक पहल:**
  - **आकांक्षी जिला कार्यक्रम** वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों को लक्षित करता है।
  - बुनियादी ढांचे, स्कूलों, स्वास्थ्य, कौशल विकास को वित्तपोषित करने के लिए वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों के लिए **विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए) योजना।**
  - **सड़कों (रैपिड कार्यक्रम), दूरसंचार, बैंकिंग समावेशन**, तथा पीडीएस, स्वास्थ्य बीमा जैसी कल्याणकारी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना।
- **आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति:**
  - आत्मसमर्पण करने वाले कैडरों के लिए मौद्रिक प्रोत्साहन, आवास, कौशल प्रशिक्षण और आजीविका सहायता।

राज्य-स्तरीय हस्तक्षेप

- **छत्तीसगढ़:**
  - ग्रेहाउंड्स से प्रेरित **डीआरजी (जिला रिजर्व गार्ड)** आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को स्थानीय लड़ाकों के रूप में इस्तेमाल कर रहा है।
  - बस्तर-विशिष्ट नागरिक कार्रवाई कार्यक्रम, युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण।
- **तेलंगाना और आंध्र प्रदेश:**
  - **ग्रेहाउंड्स** को एक विशेष आतंकवाद-रोधी बल के रूप में स्थापित किया गया।
  - पुलिसिंग + राजनीतिक वार्ता का सफल संयोजन (2000 के दशक के बाद)।
- **झारखंड:**
  - झारखंड **जगुआर** नक्सल विरोधी इकाई।

  - ग्राम रक्षा समितियां, कल्याणकारी कार्य।
- **ओडिशा:** समर्पण नीतियां, बुनियादी ढांचे को बढ़ावा, कोरापुट-मलकानगिरी में जनजातीय शिक्षा और कल्याण पर ध्यान केंद्रित करना।
- **महाराष्ट्र (गढ़चिरौली):** सी-60 कमांडो बल, प्रभावी स्थानीय पुलिस व्यवस्था और मजबूत नागरिक सहभागिता।

क्या यह नक्सलवाद का अंत है?

- **आशावाद के कारण:**
  - गंभीर नेतृत्व क्षति और पार्टी से पलायन।
  - भर्ती आधार का पतन।
  - मुख्य जनजातीय क्षेत्रों में राज्य की मजबूत उपस्थिति।
  - बदलती सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में विचारधारा की बढ़ती अप्रासंगिकता।
- **सावधानी के कारण:**
  - माओवादी विचारधारा शायद लुप्त न हो; उसके अवशेष भूमिगत रूप से जीवित रह सकते हैं।
  - पिछली शांति वार्ताएं (जैसे, आंध्र प्रदेश 2004) विफल हो गईं, जिसके परिणामस्वरूप पुनः शांति वार्ताएं शुरू हुईं।
  - अंतर्निहित शिकायतें - भूमि हस्तांतरण, जनजातीय विस्थापन, शोषण - अभी भी अनसुलझे हैं।
  - माओवादी नए रूपों (शहरी नेटवर्क, मुद्दा-आधारित मोर्चे, या अन्य उग्रवादी समूहों के साथ गठबंधन) में फिर से संगठित हो सकते हैं।

आगे की राह और सिफारिशें -

- **सतत सुरक्षा दबाव:** क्षेत्र पर प्रभुत्व बनाए रखना और पुनः समूहीकरण को रोकना; न्यूनतम क्षति के साथ सटीक संचालन पर ध्यान केंद्रित करना।
- **समावेशी विकास:** जनजातीय क्षेत्रों में कल्याणकारी योजनाओं - भूमि अधिकार, वन अधिकार, स्वास्थ्य सेवा, स्कूल, नौकरियां - में तेजी लाना।
- **स्थानीय शासन को मजबूत करना:** ग्राम सभाओं को सशक्त बनाना, पीईएसए और एफआरए कार्यान्वयन को मजबूत करना, विकास में स्थानीय भागीदारी सुनिश्चित करना।
- **विश्वसनीय पुनर्वास:** पारदर्शी समर्पण पैकेज, दीर्घकालिक आजीविका के अवसर और सामाजिक पुनः एकीकरण।
- **नागरिक-सैन्य संलयन:** आधुनिक निगरानी, ड्रोन और एआई को स्थानीय खुफिया नेटवर्क (आत्मसमर्पित कैडर, ग्रामीण) के साथ मिलाना।
- **संरचनात्मक शिकायतों का समाधान:** उचित मुआवजे और सहमति के बिना खनन/औद्योगिक परियोजनाओं के कारण होने वाले विस्थापन को रोकना।
- **वार्ता की तैयारी:** यदि विद्रोही ईमानदारी प्रदर्शित करें तो विश्वसनीय शांति वार्ता के लिए तैयार रहें; सत्यापन तंत्र सुनिश्चित करना।
- **वैचारिक पुनरुत्थान को रोकना:** शिक्षा, डिजिटल पहुंच, युवा सहभागिता और सामुदायिक नेतृत्व के माध्यम से माओवादी प्रचार का मुकाबला करना।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस